रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20, 1976 (कार्तिक 29, 1898)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20, 1976 (KARTIKA 29, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	787
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1855
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1575
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	28 35
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3979
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	367
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	9895
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	889
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	69
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2189
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	197

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	787
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1855
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1575
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2835
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3979
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	367
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	9895
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	889
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	69
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2189
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	197

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1976

सं० 90 प्रेज/76—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री छत्रधर महतो,
कांस्टेबल नं० 1081,
जिला बंकुर,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

8/9 अप्रैल, 1975 की आधी रात को बम, चाकुओं तथा अन्य घातक हथियारों से लैस 30 सशस्त्र डाकुओं के एक गरोह ने डकैती डालने के उद्देश्य से कौतुलपुर थाने के अन्तर्गत नादीकुल गांव पर हमला किया । कांस्टेबल छत्रधर महतो, जो गांव के पास मारदी चैक पोस्ट पर नियुक्त थे बमों के विस्फोट की आवाज़ सुनकर एक अन्य कांस्टेबल के साथ तुरन्त घटनास्थल की ओर दौड़े । दोनों कांस्टेबल बन्दूकों से लैस थे । पुलिस दल को देख कर डाकुओं ने बम तथा अन्य घातक अस्त्र फेंकने आरम्भ कर दिये । अविचलित रहते हुए कांस्टेबल छत्रधर महतो ने मोर्चा सम्भाला और अपनी बन्दूक से गोली चला कर एक डाकु को घायल कर दिया जिसकी बाद में घावों के कारण मृत्यु हो गई । घटनास्थल से कुछ साबुत और कुछ फटे हुए बम बरामद हुए ।.

श्री छत्रधर महतो ने इस प्रकार अनुकरणीय साहस, पहल शक्ति और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 अप्रैल, 1975 से दिया जाएगा ।

सं० 91-प्रेज/76—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री जितेन्द्र नाथ राय,
पुलिस उप-निरीक्षक,
नादिया,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

22 मई, 1975 को नादिया जिले के थाना कोतवाली के श्री जितेन्द्र नाथ राय को सूचना मिली कि कुछ कुख्यात डाकू हथियारों तथा गोला बारुद के साथ डकैती डालने के विचार से गोलडाह मैदान में एकत्र हुये हैं । उप-निरीक्षक समय नष्ट किये बिना उपलब्ध दल को लेकर तुरन्त गांव की ओर चल पड़े । वे रात्रि के लगभग 1 बजे गोलडाह मैदान में पहुंचे जब वहां घुप अंधेरा था । पुलिस टुकड़ी के आने का पता लगने पर अपराधियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं । श्री राय ने अपने आदमियों की मोर्चा लेकर जवाबी गोलीबारी करने के लिये कहा और साथ ही अपने रिवाल्वर का भी प्रयोग किया । पुलिस की दृढ़ कारवाई के परिणाम-स्वरूप एक कुख्यात अपराधी गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा बाद में हस्पताल में मर गया । उक्त मुठभेड़ में लगभग 10 डाकु थे जिनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया और एक को मार गिराया गया । शेष अंधेरे की आड़ में बचकर भाग गये । पुलिस ने एक दुनाली बन्दूक बरामद की ।

इस मुठभेड़ में श्री जितेन्द्र नाथ राय ने उत्कृष्ठ वीरता, साहस नेतृत्व और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 मई, 1975 से दिया जायेगा ।

सं० 92-प्रेज/76—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री महादेव घोष,
कांस्टेबल सं० 923,
जिला बंकुर,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

27 अप्रैल, 1974 की रात्रि को एक पुलिस दल कुछ अपेक्षित व्यक्तियों को तलाश करने के लिये पल्ला गांव को गया । जब वह सुखानीबास गांव पहुंचा तो आतंकित ग्रामवासियों ने उन्हें बताया कि कुछ देर पहले ही उस गांव में डकैती पड़ी थी और डाकू बम फैंक रहे थे । डाकुओं की खोज करने के लिये पुलिस दल छोटी-छोटी टुकड़ियों में बंट गया और घटनास्थल की ओर चल पड़ा । कांस्टेबल महादेव घोष तथा एक अन्य कांस्टेबल उसी समय होने वाले विस्फोट की आवाज पर उस ओर दौड़े । उन्होंने कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे जिन्होंने कांस्टेबलों को देखकर बमों की एक बौछाड़ फैंक कर भाग निकलने का प्रयत्न किया । कांस्टेबल महादेव घोष केवल लाठी लिये हुए थे परन्तु उन्होंने अपने साथी की बन्दूक लेकर गोली चलाई उन्होंने गिरोह के सरदार को जो एक कुख्यात डाकू था निशाना बनाकर जख्मी कर दिया । बाकी डाकू लूट का माल तथा अपने घायल सरदार को छोड़कर भाग गये ।

इस मुठभेड़ में श्री महादेव घोष ने वीरता, साहस, पहलशक्ति और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 अप्रैल, 1974 से दिया जायेगा ।

सं० 93-प्रेज/76—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद
श्री देवेन्द्र मोहन दत्ता,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पश्चिम दीनाजपुर,

पश्चिम बंगाल

श्री चिन्दी लामा,

पुलिस उप-निरीक्षक

पश्चिम दीनाजपुर,

पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

10 मार्च, 1975 की आधी रात को घातक हथियारों से लैस लगभग 15 डाकुओं ने किस्तापुर, जिला पश्चिम दीनाजपुर, के एक ग्रामीण के घर डकैती डाली । उसका छोटा भाई घर की एक खिड़की से बचकर निकल भागा और उसने जोर-जोर से शोर मचाया । उप-निरीक्षक दत्ता और लामा जो उक्त गांव से लगभग डेढ़ मील की दूरी पर गश्ती-ड्यूटी पर थे, शोर सुनकर गांव की ओर दौड़े और उस घर को घेर लिया जिसको डाकू लूट रहे थे । दोनों उप-निरीक्षक रेंगकर घर में घुस गये परन्तु डाकुओं ने उन्हें देख लिया और उन पर गोलियां चला दीं । अपने जीवन के खतरे की परवाह किये बिना श्री दत्ता और श्री लामा ने अपनी सर्विस रिवालवरों से गोलियां चला कर डाकुओं को कुचल दिया । दो डाकू घटनास्थल पर मारे गये और अन्य दो घायल हो गये जिनमें से एक की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई ।

इस मुठभेड़ में श्री देवेन्द्र मोहन दत्ता और श्री चिंदी लामा ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, पहलशक्ति और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 मार्च, 1975 से दिया जायेगा ।

सं० 94-प्रेज/76—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री देवदत्त त्रिपाठी,

पुलिस उप-निरीक्षक,

ग्वालियर,

मध्य प्रदेश ।

श्री राम खिलावन,

हैडकांस्टेबल सं० 52, 23वीं बटालियन,

विशेष सशस्त्र बल ,

भोपाल,

मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

28 दिसम्बर, 1971 को सूचना मिली कि एक कुख्यात डाकू का गिरोह पुलिस स्टेशन खोरपुरा, जिला शिवपुरी से लगभग 18 मील दूर एक पर्वतीय शिखर पर गोलीका के घने जगलों में छिपा है । श्री देवदत्त त्रिपाठी ने उपलब्ध दल को एकत्र किया और तुरन्त उस स्थान की ओर चल पड़े । उन्होंने दल को तीन टुकड़ियों में बांटा जिनमें से एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं किया । अगली सुबह पुलिस और डाकुओं के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई । भारी गोलाबारी के बीच श्री त्रिपाठी ने देखा कि गरोह का सरदार एक अपहृत बालक को लेकर बचकर भागने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि अन्धाधुन्ध गोलाबारी से अपहृत बालक की मृत्यु हो सकती है, इसीलिये वह डाकू के और नजदीक हो गये तथा गोलियों की बौछार के बीच अत्यन्त निकट से उसे गोली मार दी ।

श्री राम खिलावन तीन टुकड़ियों में से एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे जो डाकुओं पर गोली चला रही थी । उन्होंने देखा कि पुलिस दल के अन्य सदस्यों द्वारा तेजी से पीछा किये जाने के कारण डाकू उनकी ओर आ रहे हैं । उन्होंने अनुभव किया कि यदि उन्होंने अन्धाधुन्ध गोली चलाई तो उनके अपने साथी मारे जायेंगे । हिम्मत से काम लेते हुए उन्होंने तब तक इन्तजार किया जब तक कि डाकू अच्छी तरह से उनके निशाने की मार में नहीं आ गये और उसके बाद ही गोली चलाई जिससे डाकुओं में से दो डाकू मारे गये तथा अन्य दो गिरफ्तार कर लिये गये ।

इस मुठभेड़ में चार डाकू मारे गये और तीन को जिन्दा पकड़ लिया गया ।

इस प्रकार श्री देवदत्त त्रिपाठी और श्री राम खिलावन ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, सूझबूझ और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं । तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 दिसम्बर, 1971 से दिया जायेगा ।

सं० 95-प्रेज/76 :—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मृत्युंजय कुमार झा,

पुलिस उप-अधीक्षक,

औरंगाबाद,

बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

18 मार्च, 1974 को श्री मृत्युंजय कुमार झा को कानून व व्यवस्था कार्यों के लिए पटना में इंजीनियर्स एसोसियशन बिल्डिंग पर एक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस दल के साथ तैनात किया गया था । लगभग 11 बजे छात्रों की भीड़ ने भवन को घेर लिया तथा इसे अपने क्रोध का निशाना बनाया । भीड़ ने भवन पर भारी पथराव किया और भवन को आग लगाने के लिए अहाते में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की । श्री झा ने उपलब्ध दल के साथ इस आक्रमण को विफल कर दिया । थोड़ी देर पश्चात् भवन के पूर्वी भाग तथा रिकार्ड रूम को आग लगा दी गई और भीड़ भवन के अहाते के दरवाजे तोड़ने में सफल हो गई । इस पर श्री झा ने अपने दल को अच्छी तरह मोर्चा सम्भालने के उद्देश्य से भवन के अन्दर हटा लिया । भीड ने मजिस्ट्रेट तथा तीन होम गार्डों को यह आश्वासन देकर कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा बाहर बुला लिया । परन्तु जैसे ही वे बाहर आये उन पर हमला कर दिया । श्री झा ने अपने दल को, मजिस्ट्रेट और तीन होम गार्डों का, जीवन बचाने के लिए संघर्ष करने का आदेश दिया । श्री झा ने स्वयं एक होम गार्ड से लाठी छीन ली तथा अकेले ही संघर्ष में कूद पड़े । वे मजिस्ट्रेट पर पीछे से हमला करने वाले छात्रों को तितर बितर करने में सफल हो गये किन्तु भीड़ क्रुद्ध होकर उन पर टूट पड़ी । उन पर लोहे की छड़ों, पत्थरों तथा ईंटों से हमला किया गया, यहां तक कि बी० एस० आर० टी० सी० की एक बस से जिसका कुछ समय पहले अपहरण किया गया था उन्हें कुचल कर मारने का भी प्रयास किया गया । भारी चोट से उनकी कोहनी कुचली गई । फिर भी श्री झा पास से जाती हुई एक मोटर साईकल के सवार की सहायता से बच निकलने में सफल हुए ।

इस प्रकार श्री मृत्युंजय कुमार झा ने उत्कृष्ट वीरता, सूझबूझ, अनुकरणीय नेतृत्व और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपराग्रता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा ररहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 मार्च, 1974 से दिया जाएगा ।

कृ० बालचन्द्रन्,
राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 1976

सं० 11/2/76—सी० एस०-II—मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा 1977 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए ली जाने

वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(1) भारतीय विदेश (ख) ग्रेड 6;

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा-ग्रेड 2;

(3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अवर श्रेणी ग्रेड;

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा अवर श्रेणी ग्रेड;

(5) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में श्रेणी लिपिक के पद;

(6) महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद; तथा

(7) केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद; तथा

(8) उपर्युक्त सेवाओं के अन्तर्गत न आने वाले भारत सरकार के अन्य विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पद; तथा

(9) भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक के पद

कोई उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी भी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए आवेदन कर सकता है। वह जितनी भी सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहे उन सबका उल्लेख आवेदन-पत्र में करे।

नोट :—उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहते हैं, उनका प्राथमिकताक्रम स्पष्टतः लिखें। उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर, जो अधीनस्थ सेवा आयोग के कार्यालय में दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 को या उससे पहले न मिल जाए, विचार नहीं किया जाएगा।

2. परीक्षा के परिणाम पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाएगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेना में किसी पद पर (चाहे लड़ाकू के रूप में रहा हो अथवा नहीं) निरन्तर 6 मास की अवधि तक रहा हो और दुराचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा-मुक्त किए जाने को छोड़कर अन्य किसी कारण से नौकरी से मुक्त कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण:—इन नियमों के लिए "संघ की सशस्त्र सेना" में भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं शामिल होंगी परन्तु निम्न सेनाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं :—

(क) आसाम राइफल;

(ख) लोक सहायक सेना;

(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स;

(घ) जम्मू तथा कश्मीर मिलिसिया;

(ङ) सैनिक सुरक्षा दल; तथा

(च) प्रादेशिक सेना।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951,

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियों (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार)

*संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

*संविधान (अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959

*संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश, 1962

*संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962

*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

*संविधान (गोवा, दमन तथा दीव), अनुसूचित जाति आदेश, 1968

*संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968

*संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970

3. अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में निहित विधि से किया जाएगा।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो———

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 2 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तनजानिया (भूतपूर्व तांगानिका व जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो

(1) परन्तु ऊपर की श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता-प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(2) परन्तु यह भी शर्त है कि ऊपर की श्रेणी (ख), (ग) तथा (घ) से सम्बन्धित उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड VI में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक है, इस शर्त पर परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है तथा अनन्तिम रूप से उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है, कि उसे सरकार आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य न हो, या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन तथा दीव का निवासी न हो, या केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथोपिया से प्रव्रजन करके न आया हो, वह प्रतियोगिता में दो से अधिक बार नहीं बैठ सकता, किन्तु यह प्रतिबन्ध सन् 1961 में हुई परीक्षा से लागू होगा।

टिप्पणी 1. यदि परीक्षा के परिणाम के प्रकाशित होने से पहिले अथवा बाद में किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार परीक्षा में दो बार पहले ही बैठ चुका था और इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं था तो उसका परिणाम, यथास्थिति, रोक लिया जाएगा अथवा रद्द कर दिया जाएगा और नियम 15 के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी 2. यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं पदों के लिए, परीक्षा में बैठे, तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

टिप्पणी 3. किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ तब माना जाएगा जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

6. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह जरूरी है कि 1 जनवरी, 1977 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और पूरे 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1952 से पहले और 1 जनवरी, 1959 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम-से-कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो उनकी सशस्त्र सेना में कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयुसीमा में छूट दी जाएगी।

परन्तु इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

टिप्पणी :—उपरोक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आह्वान पर सेवा ("काल अप सरविस") की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

(ग) उक्त ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और अधिक छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद किन्तु 25 मार्च 1971 से पूर्व प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य हो तथा बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1961 या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पूर्व प्रव्रजन कर के भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित मूल भारतीय व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य हो तो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित मूल भारतीय व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके पश्चात् श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(6) यदि उम्मीदवार 21 दिसम्बर, 1961 से तुरन्त पहले उन प्रदेशों का निवासी था जो गोवा, दमन और दीव में शामिल हैं, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(7) यदि उम्मीदवार मूल भारतीय हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगानिका और जंजीबार, जाम्बिया मलावी, जायरे और इथोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक,

(8) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित मूल भारतीय व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित मूल भारतीय व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(10) किसी दूसरे देश से युद्ध के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(11) किसी दूसरे देश से युद्ध के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य हों, अधिकतम 8 वर्ष तक,

(12) सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के लिए जो भारत पाकिस्तान संघर्ष 1971 के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए उम्मीदवारों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष,

(13) सीमा सुरक्षा दल के अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य कार्मिकों के लिए जो भारत-पाकिस्तान संघर्ष 1971 के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए उम्मीदवारों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक।

(घ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष तक आयु की छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालय में लिपिकों /सहायक संकलकों/भंडार रक्षकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त है और 1 जनवरी, 1977 को जिन्हों ने लिपिकों के रूप में कम-से-कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आयु की छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो मन्त्रालय/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (2) भारतीय विदेश सेवा (ख), (3) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा और (4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए परीक्षा में बैठ रहे हैं।

(ङ) उक्त ऊपरी आयु-सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक के पदों पर नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1977 को जिन्होंने हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम-से-कम 3 वर्ष की/निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

परन्तु शर्त है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(च) ऊपरी आयु सीमा में उन सैनिकों लिपिकों को 45 की आयु तक की छूट दी जाएगी जो सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में हैं

अर्थात् उन को जो सेना से 2 जनवरी, 1977 से 1 जनवरी, 1978 की अवधि में निवृत्त होने वाले हैं।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवार केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए ही, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं हैं, प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(छ) उन टैलिफोन आप्रेटरों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं होगी, जो दिनांक 1-1-1977 को विदेश मन्त्रालय में नियुक्त होंगे और जिनकी नियुक्ति यथावत जारी रहेगी।

टिप्पणी (1) डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 6 (घ) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जाएगी।

टिप्पणी (2) यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम (6) (घ), नियम 6 (ङ) और नियम 6 (छ) में उल्लिखित आयु सम्बन्धी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन पत्र देने के बाद, परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, वह नौकरी से त्यागपत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाए तो वह पात्र बना रहेगा।

टिप्पणी (3) किसी लिपिक को जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्त हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर परीक्षा में बैठने दिया जायेगा।

टिप्पणी (4) विदेश मन्त्रालय में भाग ले रहे कार्यालयों/विभागों में काम कर रहा कोई स्थायी अथवा अस्थायी टैलीफोन आप्रेटर इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा परन्तु किसी टैलीफोन आप्रेटर को परीक्षा पास करने के लिए दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। जो टैलीफोन आप्रेटर सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन से अन्य असंवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हो, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे यदि वे अन्यथा पात्र हों। यह उस अधिकारी पर भी लागू होगा जो किसी अन्य असंवर्ग पद या स्थानान्तरण पर किसी सेवा में नियुक्त किया गया है, यदि उस समय टैलीफोन आप्रेटर के पद में उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है।

टिप्पणी (5) जहां तक इस नियम की उक्त श्रेणी (छ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यह परीक्षा अर्हक होगी, प्रतियोगितात्मक नहीं। उनको टंकण परीक्षा में नहीं बैठना होगा जो इस परीक्षा का एक भाग है। यदि उन्होंने पहले से टंकण परीक्षा पास नहीं कर रखी होगी तो उन्हें इस आयोग द्वारा ली गई कोई आवर्त टंकण परीक्षा निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पास करनी होगी। यदि वे यह परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी जब तक कि वे कथित परीक्षा पास नहीं कर लेंगे।

आयोग द्वारा सिफारिश किया गया टैलीफोन आप्रेटर केवल भारतीय विदेश सेवा (ख)-ग्रेड VI में लिया जाएगा।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु-सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

7. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की हो या उनके पास निम्नलिखित में से एक प्रमाण-पत्र हो:—

(1) भारत के केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा;

(2) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में शालान्त (स्कूल लीविंग), माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण-पत्र के दिये जाने के लिए, जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाणपत्र के समकक्ष मानती हो, ली गई कोई परीक्षा;

(3) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज);

(4) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा;

(5) दिल्ली पोलीटैक्नीक के तकनीकी हायर सैकेंण्डरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र;

(6) भारत में किसी मान्यताप्राप्त हायर सेकेण्डरी स्कूल/बहु-उद्देशीय स्कूल द्वारा हायर सेकेंण्डरी पाठ्यक्रम/बहु-उद्देशीय पाठ्यक्रम (जो किसी छात्र को तीन वर्षीय डिग्री कोर्स के लिए पात्र बनाता है) के उपान्तिम वर्ष के अन्त में ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण;

(7) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र;

(8) श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र;

(9) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा (केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए);

(10) बंगाल (साइंस) स्कूल सर्टिफिकेट;

(11) नेशनल काउन्सिल आफ एजूकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की फाइनल स्कूल स्टन्डर्ड परीक्षा (प्रारम्भ से);

(12) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की 'विनीत' परीक्षा;

(13) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रेंच परीक्षाएं:—

(1) ब्रीवे एलिमेनटेएर;

(2) ब्रीवे द ए सीमा प्रोमियर द लांग इंडियन;

(3) ब्रीवे द एतवद द प्रीमिये सिकल,

(4) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमीयेर सुपीरियेर दे लांग इंदियेन, और

(5) ब्रीवे दे लांग इंदियेन (वर्नाक्युलर);

(14) गोवा, दमन और दीव की पुर्तगाली परीक्षा 'लाइसियूम' के पांचवे वर्ष में पास;

(15) इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन;

(16) भारतीय नौसेना का हायर एजुकेशन टैस्ट;

(17) एडवांस क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा;

(18) सीलोन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा;

(19) ईस्ट बंगाल सैकण्डरी एजुकेशन बोर्ड ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र;

(20) बंगला देश स्थित कोमीला-राजशाही/खुलना/जैसोर के बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजुकेशन द्वारा दिया गया सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र;

(21) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा;

(22) एंग्लोवर्नाक्यूलर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (बर्मा);

(23) बर्मा हाई स्कूल फाईनल एग्जामिनेशन प्रमाण-पत्र (विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पात्रता सहित);

(24) शिक्षा विभाग बर्मा की एग्लोवर्नाक्यूलर हाई स्कूल परीक्षा (युद्ध-पूर्व);

(25) बर्मा का पोस्टवार स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट;

(26) सामान्य स्तर पर श्रीलंका की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन परीक्षा यदि वह पांच विषयों में पास की गई हो;

(27) सामान्य स्तर पर लंदन के एसोसिएटेड एग्जामिनेशन बोर्डस की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो;

(28) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर/सैक्शनरी तकनीकी स्कूल परीक्षा;

(29) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) या पुरानी खंड मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) तथा अतिरिक्त विषयों में, जिनमें एक विषय अंग्रेजी हो, विशिष्ट परीक्षा;

(30) गोवा, दमन तथा दीव की स्वतन्त्रता से पूर्व पुर्तगाली शासन के अधीन इस्कोला इन्डस्ट्रीयल, कार्मिशयल दी गोवा, पणजी द्वारा दिए गए लुहार पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र तथा बिजली-मिस्तरी पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र;

(31) राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कालेज डिप्लोमा परीक्षा;

(32) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित "मध्यमा" परीक्षा;

(33) कारपोरल के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा निदेशालय, वायु-सेना मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा ली जाने वाली भारतीय वायुसेना शैक्षिक परीक्षा;

(34) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1965 में ली गई विज्ञान की अर्हक परीक्षा;

(35) शिक्षा मन्त्रालय, मलेशिया के सहयोग से कैम्ब्रिज स्थानीय परीक्षा सिंडीकेट विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मलेशिया सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा;

(36) पंजाब विश्वविद्यालय की उच्चतर माध्यमिक (कोर विषय) परीक्षा;

(37) ढाल प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापत्तनम द्वारा संचालित (भारतीय नौसेना) परीक्षा पास करना;

(38) आंग्ल-भारतीय विद्यालय, मद्रास के निरीक्षक द्वारा जारी किया गया आंग्ल-भारतीय हाई स्कूल परीक्षा (स्टैंडर्ड) का प्रमाण-पत्र;

(39) भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद् द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा दसवीं परीक्षा) का भारतीय प्रमाण-पत्र, बशर्ते कि यह परीक्षा पांच विषय लेकर पास की गई हो जिसमें गणित, विज्ञान और कम-से-कम दो भाषाएं सम्मिलित हों। पांचवां विषय ग्रुप I के शेष विषयों (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति नागरिक शास्त्र तथा भूगोल) अथवा ग्रुप II के विषयों (कला, तकनीकी ड्राइंग के साथ लकड़ी का कार्य अथवा धातु-कार्य, प्रारम्भिक गृह विज्ञान, प्रारम्भिक लेखा-जोखा और कार्यालय पद्धति के साथ आशु-लिपि तथा टंकण) में से कोई सा हो सकता है;

(40) तनजानिया सरकार की परीक्षा परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय फार्म IV परीक्षा।

(41) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा ली गई जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा;

(42) ऐस्कोला प्रोफैशनल डी इन बॉस्को, बाल्पोई (गोवा) द्वारा दिए गए कर्सो गिनबवैनल डी मेकैनिकों में पास हों;

(43) भारत के किसी उच्चतर माध्यमिक और बहुदेशीय विद्यालय से उपान्तिम वर्ष की परीक्षा पास की हो;

(44) कामेश्वर सिंह दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा का नवीन उच्चतर मध्यमा (अंग्रेजी के साथ); और

(45) पश्चिमी बंगाल की मार्डन स्कूल फाइनल परीक्षा

टिप्पणी (2) कुछ विशिष्ट मामलों में, जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

(8) (1) जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह में दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकार्य है तथा ऐसा करने के अन्य कारण हैं और जब तक उसको इस नियम से छूट न दे दे।

(2) जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है, वह भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-VI की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(3) जिस व्यक्ति के तीन से अधिक बच्चे हैं वह भारतीय विदेशी सेवा (ख) ग्रेड में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

9. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत से पहले से सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग के अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए।

10 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की सम्भावना होगी।

टिप्पणी—अशक्त भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

12. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

13. सशस्त्र सेना से निवृत्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के विज्ञप्ति के पैरा iv के अन्तर्गत शुल्क की छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को आयोग के विज्ञप्ति के पैरा 8 (1) में विहित शुल्क देना होगा।

14. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

15. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन; अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो।

16. परीक्षा के पश्चात् टंकण परीक्षा में पास होने वालों को अन्तिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में दिए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग उम्मीदवारों की गुणानुक्रम में सूची बनाएगा और उसी क्रम से परीक्षा परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए निश्चित आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जितने उम्मीदवारों को परीक्षा के द्वारा अर्हता प्राप्त समझेगा, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए, अधीनस्थ सेवा आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रिआयत देकर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर, परीक्षा में उनके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

आगे यह भी शर्त है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए अधीनस्थ सेवा आयोग सामान्य स्तर में रिआयत देकर भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर, परीक्षा में उनके योग्यता क्रम के आयोग पर ध्यान दिए बिना ही उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

17. परीक्षा-परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए (आवेदन पत्र के कालम 14 में) बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

18. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किसी प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा-फल के सम्बन्ध में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

19. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

20. जिन सेवाओं/पदों के लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है, उनसे संबंधित सेवा की शर्तें संक्षेप में परिशिष्ट 2 में दी गई है।

के० बी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट 1

1. परीक्षा निम्न योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1—**लिखित परिक्षा** :—लिखित परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक		दिया गया समय
1.	सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबन्ध			
	(क) लघु निबन्ध	100	200	3 घन्टे
	(ख) सामान्य अंग्रेजी	100		
2.	भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान	100		2 घन्टे

भाग 2—**टंकण परीक्षा** : आयोग के विवेकानुसार लिखित परीक्षा में निर्धारित कम-से-कम स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही टंकण परीक्षा के पात्र होंगे।

टंकण परीक्षा के निम्न दो प्रश्न पत्र होंगे :—

पत्र संख्या	विषय	दिया गया समय
1.	लगातार टाइप करने की सामग्री (रनिंग मैटर)	10 मिनट
2.	सारणीबद्ध विवरण (टेबुलर स्टेटमेंट)	10 मिनट

परीक्षा के नियमों के नियम 16 के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सिफारिश के पात्र होंगे जो अंग्रेजी में कम-से-कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में कम-से-कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे। यह विदेश मन्त्रालय में नियुक्त टेलीफोन आप्रेटरों पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी (i) : जिन उम्मीदवारों ने संघ लोक सेवा आयोग अथवा सचिवालय प्रशिक्षणशाला या सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान या अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशुलेख टंकण परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से पहिले ही पास कर ली हो उन्हें इस परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को पास की गई टंकण परीक्षा में अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा की तारीख बतानी चाहिए।

टिप्पणी (ii) : परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र के साथ जो उम्मीदवार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात् सिविल सर्जन, से लेकर "उम्मीदवारों को अनुदेश" के पैरा 9 (ख) में निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि शारीरिक अक्षमता के कारण वह सेवा के लिए टंकण परीक्षा पास करने के स्थाई रूप से अयोग्य है, तो केन्द्रीय सरकार के मंत्रीमंडल सचिवालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पूर्व अनुमोदन से उसे इस परीक्षा के देने और पास करने से छूट मिल सकती है।

टिप्पणी (iii) : उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा के लिए अपनी टाईप मशीन लानी होगी । स्टेन्डर्ड साईज के रोलर वाली टाईप मशीन परीक्षा के दोनों ही प्रश्न पत्रों में काम दे सकेगी ।

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में बताया गया है ।

3. उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्नपत्र 1 की मद (क) या प्रश्न पत्र 2 या दोनों उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि में) किसी में दें प्रश्न पत्र 1 के मद (ख) के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिए ।

उम्मीदवारों को वे छूट होगी कि टंकण परीक्षा हिन्दी (देवनागरी) लिपि में दें अथवा अंग्रेजी में ।

टिप्पणी 1 : प्रश्न पत्र 2 में छूट पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगी, इस प्रश्न पत्र के अलग अलग प्रश्नों के लिए नहीं ।

टिप्पणी 2 : उपर्युक्त लिखित परीक्षा/टंकण परीक्षा के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र के कालम 8 तथा 9 में स्पष्टत: लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि प्रश्नपत्रों का उत्तर/टंकण परीक्षा अंग्रेजी में देंगे ।

टिप्पणी 3 : एक बार चुना हुआ विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणत: स्वीकार नहीं होगा ।

टिप्पणी 4 : उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवाय किसी अन्य भाषा में उत्तर देने अथवा टंकण परीक्षा देने पर कोई अंक नहीं दिए जायेंगे ।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. केवल छिछले ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जायेंगे ।

7. अस्पष्ट लिखावट के लिए पूर्णांकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जायेंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से ठीक ठीक की गई अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबन्ध

(क) लघु निबन्ध—उल्लिखित कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा ।

(ख) सामान्य अंग्रेजी—निम्नलिखित में उम्मीदवारों की परीक्षा ली जायेगी :—

(1) मसौदा लेखन,

(2) सार लेखन,

(3) व्यावहारिक व्याकरण, तथा

(4) प्रारम्भिक सारणीकरण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी के रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की सामर्थ्य जांचने के लिए) ।

भारत के भूगोल समेत सामान्य ज्ञान

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से, जिसने कि किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो, आशा की जा सकती है । इस पत्र में भारत के भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे ।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है ।

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा ।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं

(1) उच्च श्रेणी ग्रेड रु० 330–10–380–द० रो०–12–500–द० रो०–15–560 ।

(2) अवर श्रेणी ग्रेड रु० 260–6–290–द० रो०–6–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400 ।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान वे सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विभागीय परीक्षाएं पास करेंगे । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर या परीक्षाएं पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है ।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि जितनी बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

4. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मन्त्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायेगा । उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मन्त्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों ।

5. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे । स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यथानिर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनुमोदित या निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

6. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित तारीख को कम-से-कम दो वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद ग्रेड III के आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 45 वर्ष होनी चाहिए ।

7. जिन लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जायेगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड के सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति की मांग नहीं कर सकेंगे ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मन्त्रालय में नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें जैसे नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, आदि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1970 से जो समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962, के आधार पर बने हैं, संचालित होती है ।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं :—

(i) उच्च श्रेणी लिपिक—रु० 330–10–380–द० रो०–12–500–द० रो०–15–560 ।

(ii) अवर श्रेणी लिपिक—रु० 260–6–290–द० रो०–6–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400 ।

3. सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में ही की जाती है । अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति दो साल के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे । और इस अवधि में उन्हें वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और वैसी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जायेंगे । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखलाने पर अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है ।

4. उच्च श्रेणी लिपिकों के पद निम्नलिखित कर्मचारियों में से बराबर संख्या में पदोन्नति/नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे :—

(क) अयोग्यों को छोड़ते हुए वरीयता के अनुसार अवर श्रेणी ग्रेड के स्थायी कर्मचारी जिनकी मान्य सेवा आठ साल से कम न हो ।

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, जो समय समय पर इसी उद्देश्य से ली जाती है, के परिणाम के आधार पर चुने गए वरीयता के अनुसार अवर श्रेणी ग्रेड के लिपिक

5. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड के सदस्य, जिनकी मान्य व निरन्तर सेवा की अवधि सरकार द्वारा घोषित निश्चित तिथि पर तीन साल से कम न हो, आशुलिपिक ग्रेड-III सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। इस परीक्षा में बैठने की उच्च आयु सीमा निश्चित तिथि पर 45 वर्ष है।

6. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मन्त्रालय तक सीमित है और उसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की भांति अन्य मन्त्रालय में स्थानान्तरित नहीं हो सकते हैं।

7. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य जो इस नियमों के अधीन भर्ती किए गए हैं :—

(1) पेंशन के लाभों के हकदार होंगे, और

(2) जब वे नौकरी में नियुक्त हुए हों, उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू गैर अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अधीन उस निधि में अंशदान करेंगे।

8. रेल मन्त्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति ही बराबर मात्रा में प्रिविलेज पासों और प्रिविलेज टिकट आर्डरों के हकदार होंगे।

9. जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल कर्मचारियों को उसी प्रकार की सुविधायें हैं जैसी कि अन्य रेल कर्मचारियों की, किन्तु चिकित्सा सुविधायें उन्हें दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली है, के समान हैं ।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-IV

वेतनमान : रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-(vi) में नियुक्त अधिकारी विदेशों में नियुक्त किए जाने पर उन भत्तों और मुफ्त आवास के पात्र होंगे, जो समय-समय पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के उस ग्रेड में अधिकारियों के लिए स्वीकार्य होते हैं ।

3. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त उम्मीदवारों को, मुख्यालय में अथवा भारत या विदेश में किन्हीं भी जहां वे नियन्त्रक अधिकारी द्वारा लगाए जायें, सेवा करनी होगी ।

4. इस सेवा में नियुक्ति, पुष्टीकरण तथा वरिष्ठता की शर्त भारतीय विदेश सेवा (ख) भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता तथा पदोन्नति नियम 1964 के संगत उपबन्धों तथा बाद में सरकार द्वारा बनाये गए नियमों और आदेशों के अधीन होंगी ।

घ—सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित ग्रेड हैं—

उच्च श्रेणी ग्रेड—रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

अवर श्रेणी ग्रेड—रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400।

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है ।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि में असंतोषजनक सेवा रिकार्ड के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से हटाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथा विहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. अवर श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टिकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. सशस्त्र सेना/मुख्यालय में भर्ती किए गए अवर श्रेणी लिपिक आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अंतर सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में नियुक्त किए जायेंगे। किन्तु लोक हित में भारत में कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है।

5. छुट्टी चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अंतर-सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(ङ) संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतनमान रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 है ।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुनाव करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा ।

(च) भारत तिब्बत सीमा पुलिस

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में निम्न श्रेणी लिपिक का वेतन-मान रुपये 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर पदों पर नियुक्त उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन होंगे।

(छ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग

(1) आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद का वेतनमान 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 रु० है।

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पद के० स० लि० से० में शामिल नहीं हैं ।

(3) नियुक्त किए गए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन होंगे।

(4) तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् वे उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर, 1976

सं० ई-11017/96/76-समन्वय—इस विभाग के संकल्प संख्या ई-11017/35/75-समन्वय, दिनांक 29 जनवरी, 1976 के अनुसार वित्त मंत्रालय तथा राजस्व और बैंकिंग विभाग के लिए गठित हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची में, उप वित्त मंत्री का नाम उपाध्यक्ष के रूप में, जोड़ने का निर्णय किया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक प्रति सभी राज्यों सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मन्त्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों तथा विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक अक्तूबर 1976

सं० एल०-11018/1/76-एल० एंड एम० I—भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग को 30 अप्रैल, 1976 की इसी संख्या की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये, वाणिज्य मंत्रालय के वस्त्र विभाग को सचिव के रूप में स्थानान्तरित नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में भूतपूर्व अपर सचिव, श्री एस० एस० पुरी के स्थान पर नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में सचिव, श्री एम० जी० बालासुब्रह्मण्यन सहकारी सोसायटियों के व्यावसायिक प्रबंध सम्बंधी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपि आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये।

यह भी आदेश है कि इस सूचना की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाये।

एल०जी० भाटिया, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 नवम्बर 1976

सं० 29/1/75-एल० आई०—डाकघर बीमा निधि की 31 मार्च, 75 को देनदारियों के जीवनांकित मूल्यांकन के परिणामों के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने 31 मार्च, 1975 को चालू डाक जीवन बीमा पालिसियों के धारकों को सामान्य रिवर्सनरी बोनस की सहर्ष मंजूरी दी है। यह बोनस बीमा की राशि के अलावा और उसके साथ देय होगा जोकि 1 अप्रैल, 1972 और 31 मार्च, 1975 (ये दोनों तारीखें इसमें शामिल हैं) के बीच चालू पालिसियों के हर एक पूरे महीने के लिए नीचे लिखी दरों से दिया जाएगा :—

(1) आजीवन बीमा पालिसियां	बीमा की रकम पर 33 रु० प्रति हजार प्रति वर्ष।
(1) अक्षय निधि बीमा पालिसियां	बीमा की रकम पर 25 रु० प्रति हजार प्रति वर्ष।

2. परिवर्तित पालिसियों के मामले में 31 मार्च, 75 को जिस रूप में वे रही हों उसी रूप में पालिसियों के हिसाब से बोनस अलाट किया जाएगा।

3. 1 अप्रैल, 1975 और अगले मूल्यांकन के बारह महीने बाद (इसमें ये दोनों तारीखें शामिल हैं) खत्म होने वाली या परिपक्वता की अवस्था में जिन पालिसियों का दावा पेश किया गया हो या किया जाएगा, उन पर 1 अप्रैल, 1975 से दावे की तारीख तक की जिस अवधि में पालिसियां चालू थीं या हैं उसके हर पूरे महीने के लिए अन्तरिम बोनस दिया जाना चाहिए जिसकी दरें इस प्रकार होंगी :—

(1) आजीवन बीमा पालिसियां	बीमा की रकम पर 33 रु० प्रति हजार प्रति वर्ष
(2) अक्षय निधि बीमा पालिसियां	बीमा की रकम पर 25 रु० प्रति हजार प्रति वर्ष

उपर्युक्त अन्तरिम बोनस का आधार मृत्यु या परिपक्वता की तारीख को जितनी रकम का कि बीमा किया गया हो, वह रकम होगी और उक्त अवधि के लिए यह पूरा अन्तिम देय बोनस जो पोलिसियां उक्त अवधि के दौरान समर्पित की गई हों या की जायंगी उन पर अवधि के उस अंश के लिए जब कि पालिसियां चालू थीं उक्त अन्तरिम बोनस के नकद समर्पण मूल्य के बराबर बोनस दिया जायेगा।

4. किसी पालिसी पर उपार्जित बोनस रकम का हिसाब करने में रुपये के अंश को किसी अंश में गिना जाए अर्थात 50 या उससे ज्यादा पैसों के लिए पूरा रुपया माना जाएगा।

रणेन्द्रनाथ डे, निदेशक
डाक जीवन बीमा
दूरभाष नं 3920804

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th November 1976

No. 90-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and rank of the officer

Shri Chhatradhar Mahato,
Constable No. 1081,
District Bankura,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the mid-night of 8th/9th April, 1975 a band of 30 armed dacoits equipped with bombs, knives and other lethal weapons raided the village Nadikul under Kotulpur Police Station with the object of committing dacoity. Constable Chhatradhar Mahato who was attached to the checkpost at Maldi near the village along with another Constable rushed to the place on hearing sounds of explosion of bombs. Both the Constables were armed with muskets. On seeing the police party the dacoits started hurling bombs and other lethal missiles. Undettered, Constable Chhatradhar Mahato took position and fired from his musket hitting one of the dacoits who later succumbed to his injuries. The others escaped under cover of darkness. Some live and exploded bombs were recovered from the spot.

Shri Chhatradhar Mahato thus showed exemplary courage and a high sense of devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th April, 1975.

No. 91-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and rank of officer

Shri Jitendra Nath Roy,
Sub-Inspector of Police,
Nadia, West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 22nd May, 1975 Shri Jitendra Nath Roy of Police Station Kotwali, District Nadia received information that some notorious dacoits had assembled in Goaldah field with arms and ammunition with a view to committing dacoity. The Sub-Inspector without wasting time left for the village immediately with the avnilable force. He arrived at Goaldah Field at about 1.00 A.M. when it was pitch dark. The criminals coming to know of the arrival of the police party opened fire. Shri Roy directed his men to take position and return the fire, he himself using his revolver. As a result of the determined

police action a notorious criminal was seriously injured and later died in the hospital. There were about ten dacoits involved in the encounter out of which four were arrested and one was killed. The rest escaped under the cover of darkness. One DBBL gun was recovered by the police.

In this encounter Shri Jitendra Nath Roy exhibited conspicuous gallantry, courage, leadership and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd May, 1975.

No. 92-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police.

Name and rank of the officer

Shri Mahadeb Ghosh,
Constable, No. 923,
District Bankura,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the night of 27th April 1974 a police party went to village Palla with a view to conducting a search for wanted persons. When they reached village Sukhanibas, panick-stricken villagers told them that a dacoity had just then taken place in the village and the dacoits were hurling bombs. The police party split up into smaller groups and set out for the place of incident. Constable Mahadeb Ghosh and another Constable rushed towards the direction of a fresh sound of explosion. They saw some suspicious persons, who on seeing the Constables, hurled a barrage of bombs and tried to escape. Constables Mahadev Ghosh was armed only with a lathi but he took the musket of his companion and opened fire. He managed to hit and injured the leader of the gang who was a notorious dacoit. The rest of the gang escaped leaving behind the booty and their injured leader.

In this encounter Shri Mahadeb Ghosh exhibited gallantry, courage, initiative and a high sense of devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th April, 1974.

No. 93-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the West Bengal Police :—

Name and rank of the officer

Shri Debendra Mohan Dutta,
Sub-Inspector of Police,
West Dinajpur,
West Bengal.

Shri Chindi Lama,
Sub-Inspector of Police,
West Dinajpur,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the midnight of the 10th March, 1975 about 15 dacoits armed with deadly weapons committed a dacoity in the house of a villager of Kistapur, District West Dinajpur. His younger brother escaped through a window of the house and raised an alarm. Sub-Inspectors Dutta and Lama were on patrol duty at a distance of about 1½ miles from the village. On hearing the cry they rushed to the village and encircled the house in which the dacoits were resorting to looting. The two Sub-Inspectors crawled into the house but were soon spotted and fired upon by the dacoits. Undeterred by the danger to their lives Shri Dutta and Shri Lama pinned the dacoits down with determined fire from their service revolvers. As a result, two dacoits were killed on the spot and two others injured out of which one later died in the hospital.

In this encounter Shri Debendra Mohan Dutta and Shri Chindi Lama exhibited conspicuous gallantry, courage, initiative and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th March, 1975.

No. 94-Pers./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Dev Dutt Tripathi,
Sub-Inspector of Police, Gwalior,
Madhya Pradesh.

Shri Ram Khilawan,
Head Constable No. 52,
23rd Battalion,
Special Armed Force, Bhopal,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 28th December, 1971 information was received that the gang of a notorious dacoit was hiding in the dense forests of Golacka on the top of a rocky hill about 18 miles from Police Station Chorpura, District Shivpuri. Shri Dev Dutt Triapthi collected the available force and rushed to the place. He divided the force into three parties one of which was led by himself. Next morning there was a fierce encounter between the gang and the Police. Amidst heavy firing Shri Tripathi noticed that the gang leader was trying to escape with a kidnapped boy. He realised that indiscriminate firing could kill the kidnapped boy and, therefore, closed in on the dacoit and shot him from almost point blank range in the midst of flying bullets.

Shri Ram Khilawan was leading one of the three parties which was firing on the dacoits. He noticed that the dacoits were coming towards him being hotly pursued by other members of the police party. He realised that he would kill his own men if he fired indiscriminately. Acting with courage he wainted till the dacoits were well within his range and then opned fire killing two of them and arresting two others.

In this encounter four dacoits were killed and three captured alive. Shri Dev Dutt Tripathi and Shri Ram Khilawan thus displayed conspicuous gallantry, courage, presence of mind and a high sense of devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th December, 1971.

No. 95-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Mritunjai Kumar Jha,
Deputy Superintendent of Police,
Aurangabad, Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 18th March, 1974 Shri M. K. Jha was on law and order duty at Engineers' Association Building, Patna, along with a Magistrate and some Police force. At about 11.00 hours a mob of students besieged the building and made it a target of their fury. The building was heavily stoned and the mob tried to force entry into the compound for setting fire to the building. This attack was foiled by Shri Jha with the force available with him. Shortly afterwards, the eastern side and the record room of the building were set on fire and the mob succeeded in breaking open the gates of the compound of the building. At this Shri Jha withdrew his force inside the building for better positioning. The mob allured the Magistrate and three home guards out of the building under the assurance that they would not be harmed. But as soon as they went out, they were assaulted. Shri Jha called upon his force to fight its way out and save the life of the Magistrate and the three Home Guards. Shri Jha himself snatched a lathi from a Home Guard and jumped into the fray single-handed. He succeeded in dispersing the students attacking the Magistrate from behind but the mob turned its fury on him. He was assaulted with iron rods, stones and

bricks. They even tried to crush him to death by running him over by a B.S.R.T.C. bus which they had earlier hijacked. The heavy assault fractured his elbow, but Shri Jha managed to escape with the help of a motor cyclist passing by.

Shri Mritunjai Kumar Jha thus exhibited conspicuous gallantry, presence of mind, exemplary leadership and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th March, 1974.

K. BALACHANDRAN, Secy.
to the President

CABINET SECRETARIAT

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 20th November, 1976

No. 11/2/76-CSII.—The rules for a competitive examination to be held by the Subordinate Services Commission, Department of Personnel & Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, in 1977 for the purpose of filling temporary vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B)—Grade VI;
(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service—Grade II;
(iii) Central Secretariat Clerical Service—Lower Division Grade;
(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service-Lower Division Grade;
(v) Posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi;
(vi) Posts of Lower Division Clerk in the office of the Special Inspector General, Indo-Tibetan Border Police, Delhi.
(vii) Posts of Lower Division Clerk in the Central Vigilance Commission;
(viii) Posts of Lower Division Clerk in other Departments and Attached Offices of the Government of India, not mentioned above; and
(ix) Posts of Lower Division Clerk in the subordinate offices of the Government of India.

A candidate may apply for admission to the Examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preference for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Subordinate Services Commission on or before 31st December 1977.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates who are Ex-Servicemen and for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Ex-Serviceman means a person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of six months and who has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

Explanation.—For the purpose of these Rules "Armed Forces of the Union" shall include the Armed Forces of the former Indian States but does not include members of the following Forces namely :—

(a) Assam Rifles;
(b) Lok Sahayak Sena;
(c) General Reserve Engineer Force;
(d) Jammu and Kashmir Militia;
(f) Territorial Army.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Subordinate Services Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate for appointment to any Central Service or post must be :—

(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Nepal, or
(c) a subject of Bhutan, or
(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

(1) Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B) Grade VI.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia shall be permitted to compete more than two times at the examination but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE 1.—If it is found at any time before or after the publication of the results of the examination that the candidate had already appeared in the examination twice and was thus ineligible to sit in the examination his result will be withheld or cancelled, as the case may be, and further action taken as per Rule 15.

NOTE 2.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once, for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of Services/posts.

NOTE 3.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January 1977 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January 1952 and not later than 1st January, 1959.

(b) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-Servicemen, who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Force increased by three years.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for the vacancies reserved for ex-Servicemen only.

NOTE.—The period of "call up service" for an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of rule 6(b) above.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangla Desh (esrtwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate was a resident of the Territories which immediately before 20th day of December, 1961 were comprised in Goa, Daman and Diu.

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(xiii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(d) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Clerks/Assistant Compilors/Storekeepers in the various Department/Offices of the Government of India and in the Office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years' continuous service as Clerks on 1-1-1977 and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and Attached Offices participating in (i) Central Secretariat Clerical Service, (ii) Indian Foreign Service (B), (iii) Railway Board Secretariat Clerical Service, and (iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service and to persons who are ex-Servicemen competing at the examination for vacancies reserved for ex-Servicemen.

(e) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Ministries/Departments and Attached Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service, and have rendered not less than 3 years continuous Service as Hindi Clerks/Hindi Typists on 1-1-1977 and who continue to be so employed.

Provided that candidates admitted to the examination under the age concession shall be eligible to compete for vacancies in the Central Secretariat Clerical Service only.

(f) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of Service Clerks in the last year of their colour service in the Armed Forces, *i.e.* those who are due to release from the Army, during the period from 2nd January, 1977 to 1st January, 1978.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in Armed Forces Headquarters and inter-Services Organizations, which are not reserved for ex-Servicemen.

(g) There will be no upper age limit for Telephone Operators who are so employed in the Ministry of External Affairs as on 1-1-1977 and who continue to be so employed.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in subordinate offices of P. & T. Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rule 6(d) above.

NOTE 2.—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(d), Rule 6(e) and Rule 6(g) above, is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his Department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

NOTE 3.—A Clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competeht authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

NOTE 4.—Any permanent or temporary Telephone Operator working in the Offices/Department participating in the Ministry of External Affairs shall be eligible to appear at the examination provided that no Telephonic Operator shall be allowed to avail of more than two chances to qualify in the examination.

Telephone Operators, who are on deputation to other ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to a person who has been appointed to another ex-cadre post or to another service on transfer, if he/she continues to have lien on the post of Telephone Operator for the time being.

NOTE 5.—The examination will be qualifying and not competitive so far as persons falling under category (g) above of this rule are concerned. They will not be required to appear at the typewriting test forming part of this examination. They shall have to pass a periodical typewriting test held by this Commission, if not already passed, within a period of one year from the date of their appointment as a Lower Division Clerk, failing which no annual increment will be allowed to them until they have passed the said test.

Telephone Operators recommended by the Commission shall be inducted only in I. F. S. (B)—Grade VI.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

7. Candidates must have passed one of the following examination or possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation Examination of any University incorporated by and Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) An examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate, which is accepted by the Government of that State as equivatenl to Matriculation Certificate for entry into service;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Government;

(v) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vi) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary/Multipurposes School in India, at the end of the penultimate year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enable a candidate to get admission to the 3 years degree course);

(vii) Tenth Class Certificate from a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(viii) Tenth Class Certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(ix) Junior examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi in the case of *bona fide* resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (Since inception);

(xii) 'Vinit' examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xiii) The following French Examinations of Pondicherry :

(i) 'Brevet Elementaire', (ii) 'Brevet d' Enseignement Primaire de Langue Indienne' (iii) 'Brevet D' etudesa du Premier Cycle', (iv) 'Brevet D' Enseignement Primaire Superieur de Langue-Indienne and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular);

(xiv) Pass in the 5th year of 'Lyceum', a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xv) Indian Army Special Certificate of Education;

(xvi) Higher Education Test of the Indian Navy;

(xvii) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xviii) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xix) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xx) Secondary School Certificate granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna/Jessore in Bangla Desh;

(xxi) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;

(xxii) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate Burma;

(xxiii) Burma High School Final Examination Certificate with eligibility or University course;

(xxiv) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (Pre-War);

(xxv) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at 'Ordinary level' provided it is passed in five subjects.

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards. London at 'Ordinary' Level provided it is passed in five subjects including English;

(xxviii) Junior/Secondary Technical School examination conducted by any of the State Boards of Technical Education;

(xxix) Purva Madhyama (with English) or old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Varanseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi;

(xxx) Carta de Curso de Formasco de Serralheiro (Certificate in Smithy Course) and Carta de Curso de Montador, Electricista (Certificate in Electrician Course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa, Panaji, under the Portuguese set-up *prior to Liberation of Goa, Daman and Diu;*

(xxxi) Rashtriya Indian Military College Diploma Examination;

(xxxii) 'Madhyama' examination conducted by the Rashtiya Sanskrit Sansthan, New Delhi;

(xxxiii) IAF Educational Test for promotion to the rank Corporal conducted by the Directorate of Education, Air Headquarters, New Delhi;

(xxxiv) Qualifying Science Examination, 1965, conducted by the Delhi University.

(xxxv) Malaysian Certificate of Education Examination of the University of Cambridge Local Examination Syndicate conducted in collaboration with the Ministry of Education, Malaysia;

(xxxvi) Higher Secondary (Core Subjects) Examination of Punjab University;

(xxxvii) Passing out (Indian Navy) Examination conducted by Boys Training Establishment, Vishakhapatnam;

(xxxviii) Certificate of Anglo-Indian High School Examination (Standard XI) issued by the Inspector of Anglo-Indian School, Madras;

(xxxix) Indian Certificate of Secondary Education Examination (Class X Examination) conducted by the Council for the Indian School Certificate Examination, provided it is passed in five subjects which should include Mathematics, Science and at least two languages. The fifth subject could be any of the remaining subjects in Group I (Indian History & Culture, Civics and Geography) or any of the subjects in Group II (Art, Woodwork or Metal work with technical Drawing Elements of Home Science. Elements of Accounts and Shorthand and Typewriting with office practice);

(xl) National Form IV Examination conducted by the Examination Council of the Government of Tanzania.

(xli) Jamia Higher Seconudary Examination conducted by Jamia Milia Islamia, Delhi;

(xlii) A pass in the Curso Quinquenel de Mecanico offered by Escola Professional de Don Bosco, Valpol (Goa);

(xliii) A pass in the Penultimate year examination from a Higher Secondary and Multipurpose School in India;

(xliv) Navin Uttar Madhyama (with English) of Kameshwar Singh Darbhanga, Sanskrit University, Darbhanga, and

(xlv) Modern School Final Examination of West Bengal.

NOTE.—In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that government justifies his admission to the examination.

8. (i) No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(ii) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

9. A candidate already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfer with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considerd for appointment will be medically examined.

NOTE—In the case of the disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Candidates except Ex-Servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee *vide* para 8(iv) of the Commission's Notice, must pay the fee prescribed in para 8(i) of the Commission's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature, for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. After the examination, the candidates who qualify at the typewriting test or are exempted therefrom will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate at the written examination; and in that order so many candidates as are found by the commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that the candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of general standard, be recommended by the Subordinate Services Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Subordinate Services Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts at the time of his application (of Col. 14 of the application form).

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

20. Conditions of service relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination are briefly stated in Appendix II.

K. B. NAIR,
Under Secretary

APPENDIX I

The examination will be conducted according to the following scheme :—

PART I

Written examination.—The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum Marks		Time allowed
I.	General English & Short Essay			
	(a) Short Essay	100	200	3 hours
	(b) General English	100		
II.	General Knowledge including Geography of India	100		2 hours

PART II

Typewriting Test.—Only those candidates who attain, at written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion, will be eligible to take the Typewriting Test.

The Typewriting Test will consist of the following two papers :—

Paper No.	Subject	Time allowed
1.	Running Matter	10 minutes.
2.	Tabular Statement	10 minutes.

Only such candidates as qualify at the Typewriting Test at a speed of not less than 30 w.p.m. in English or not less than 25 w.p.m. in Hindi will be eligible for being recommended for appointment in terms of rule 16 of the Rules for the examination.

Note I—Candidates who have already passed one of the periodical Typewriting Tests in English or Hindi held by the Union Public Service Commission or the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Services Commission at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi need not appear at the Type-writing Test in this examination. Such candidates must indicate their Roll Number and the date of the Typewriting Test which they have passed.

(This does not apply to Telephone Operators employeed in the Ministry of External Affairs).

Note II—A candidate, who furnished, along with his application for admission to the examination, a certificate prescribed in paragraph 9(b) of the Instructions to Candidates from the competent medical authority, i.e. the Civil Surgeon, declaring him to be permanently unfit to pass the typewriting test because of a physical disability, may, with the prior approval of the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such test.

Note III—Candidates will be required to bring their own typewriters for the typewriting test. A typewriter with the standard size roller will do for both the papers of the test.

2. The syllabus for the written examination will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer item (a) of paper I or paper II or both either in Hindi (in Devanagri script) or in English. Item (b) of paper I must be answered in English by all candidates.

Candidates are also allowed the option to take the Typewriting Test either in Hindi (in Devanagri Script) or in English.

Note 1—The option for paper II will be for the complete paper and not for different questions in it.

Note 2—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers of the written examination/take the Typewriting Test in Hindi (in Devanagri Script) should indicate their intention to do so clearly in Cols. 8 and 9 of the application form. Otherwise it could be presumed that they would answer the papers/take the Typewriting Test in English.

Note 3.—The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

Note 4.—No credit will be given for answers written or Typewriting Test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The Commission has discretion to fixe qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the written examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

General English and Short Essay

(a) *Short Essay*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) *General English.*—Candidates will be tested in the following :—

(1) Drafting;

(2) Precis writing;

(3) Applied Grammar ;and

(4) Elementary tabulation. (To test candidates' ability in the art of compiling, arranging and presenting data in a tabular form).

General Knowledge including Geography of India

Knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this Examination.

A. *Central Secretariat Clerical Service.*

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as follows:

(i) *Upper Division Grade*—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(ii) *Lower Division Grade*—Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Person recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade III Stenographers' Examinations after rendering not less than two years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 45 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

B. *Railway Board Secretariat Clerical Service*

The service conditions of the Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railways, so far as recruitment, training, promotion, etc., are concerned, are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules 1970 which are on the lines of Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 as amended from time to time.

2. The Railway Board Clerical Service consists of the following two grades :—

(i) Upper Division Grade.—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(ii) Lower Division Grade.—Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

3. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only. Persons recruited to Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in their discharge from service.

4. The posts in Upper Division Grade are required to be filled by promotion/appointment in equal proportion from amongst the following staff :

(a) Permanent officers of the Lower Division Grade who have rendered not less than 8 years' approved service in order of seniority in the Grade subject to the rejection of the unfit; and

(b) Members of the Lower Division Grade selected on the results of the Limited Departmental Competitive Examination held for this purpose from time to time in the order of their merit.

5. Members of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service are eligible to appear in the Stenographers' Grade III Limited Departmental Competitive Examination after rendering not less than three years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Govt. in this behalf. The Upper age limit for this examination is 35 years on the crucial date.

6. The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

7. Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under these rules—

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they joint service.

8. The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege tickets orders on the same scale as are admissible to other Railway staff.

9. As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with hadquarters at New Delhi.

C. *Indian Foreign Service (B)-Grade VI*

The scale of pay—Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

2. Officers appointed to Grade VI of the Indian Foreign Service (B), when posted abroad, will be eligible for such allowances and free furnished accommodation as are admissiable to that grade of I.F.S. (B) officers from time to time.

3. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) on the results of this examination will be liable to serve in any post either at Headquarters, any where in India or abroad to which they may be posted by the Conrtolling Authority.

4. The conditions for appointment, confirmation and seniority in the Service will be governed by the relevant provisions of the I.F.S. (B) (Recruitment, Cadre, Seniority, and Promotion) Rules 1964 and also by any other rules or orders, which Government may hereafter make.

D. *Armed Forces Headquarters Clerical Service*

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Lower Division Grade Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from among Lower Division Clerks, Direct recruitment is made in Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years, which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Divisiin Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted anywhere within India in the public interest.

5. Leave, medical aid and other conditions of service will be the same as applicable to other Ministerial staff employed to the AFHQ and Inter-Service Organisations.

E. *Department of Parliamentary Affairs*

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerk in the Department is Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

Candidates appointed to the Service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

F. Indo-Tibetan Border Police

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerk in the Indo-Tibetan Border Police is Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

Candidates appointed to these posts on the results of this examination will be on probation for a period of two years.

G. Central Vigilance Commission

(1) The scale of pay for the post of Lower Division Clerk in the Commission is Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

(2) The posts of Lower Division Clerks is the Central Vigilance Commission are not included in the C.S.C.S.

(3) The persons appointed will be on probation for a period of two years.

(4) They will be eligible for promotion to the grade of Upper Division Clerk after putting in three years service.

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(REVENUE WING)

New Delhi, the 1st November 1976

RESOLUTION

F. No. E-11017/96/76-Coord.—It has been decided to add the name of the Deputy Minister of Finance as Deputy Chairman in the list of the Members of the Hindi Salahkar Samiti constituted for the Ministry of Finance and the Department of Revenue & Banking *vide* this Department's Resolution No. E-11017/35/75-Coord, dated the 29th January 1976.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. A. RANGASWAMY, Addl. Secy.

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATIONS

New Delhi, the 28th October 1976

No. L-11018/1/76-L&M.—In partial modification of the erstwhile Department of Civil Supplies & Cooperation in the Ministry of Industry & Civil Supplies notification of even number dated 30th April, 1976, Shri M. G. Balasubramanian Secretary in the Ministry of Civil Supplies & Cooperation will be the Chairman of the Expert Committee on Professional Management in Cooperatives *vice* Shri S. S. Puri, formerly Additional Secretary in the Ministry of Civil Supplies & Cooperation trahsferred as Secretary to the Department of Textiles, Ministry of Commerce.

Ordered that a copy of the notification be published in the Gazette of India, for a general information.

Ordered also that a copy of the notification be communicated to all concerned.

L. G. BHATIA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T BOARD)

New Delhi-110001, the 1st November 1976

No. 29/1/75-LI.—On the results of the Actuarial Valuation of the liabilities of the Post Office Insurance Fund as at the 31st March, 1975, the President is pleased to grant to the holders of Postal Life Insurance policies in force on the 31st, March, 1975, a simple reversionary bonus as an addition to and payable with the sum assured, to be allowed for each full month during which the policies were in force between the 1st April 1972 and 31st March, 1975 (both dates inclusive) at the rates given below :—

(i) Whole Life Assurance Policies—Rs. 33/- per thousand sum assured per annum.

(ii) Endowment Assurance Policies—Rs. 25/- per thousand sum assured per annum.

2. In the case of converted policies, bonus will be allotted to the respective policies as they existed on the 31st March, 1975.

3. In respect of policies which resulted into and will result into claims by death or by survival during the period starting from 1st April, 1975 and ending 12 months from the date of the next valuation (both dates inclusive) bonus should be paid for each full month during which such policies were in force in the period starting from 1st April, 1975 to the date on which a claim arose or arises, at the rates given below :—

(i) Whole Life Assurance Policies—Rs. 33/- per thousand sum assured per annum.

(ii) Endowment Assurance Policies—Rs. 25/- per thousand sum assured per annum.

The "Interim" bonus as above will be based on the amount of the sum assured on the date of death or maturity, and will be in full and final settlement of the bonus payable for the said period. Policies surrendered or that may be surrendered during the said period may receive bonus equal to the cash surrender value of the bonus at the rates recommended above for such portion of the period as the policies were in force.

4. Fractions of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee (i.e. 50 paise or more being rounded off to the next higher rupee) while calculating the amount of bonus accrued under a policy.

R. N. DEY, Director
Postal Life Insurance

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976